

(26)



मृगरानी सीधी भू-रा/२०१७/२०४०
न्यायालय माननीय राज्यव पण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकारण क्रमांक । २०१७ निगरानी

छंड

रेंट ५० अप्रैल ८५
दाम ३०५ दिन ५-८-१७
क्र. प्रस्तुत ।
५-८-१७

यश शरण सिंह पुत्र शिवशरण सिंह बघेल,
निवासी ग्राम- मवई, तेहसील चुरहट,
जिला सीधी- मध्यप्रदेश ।

----- प्राथी

बिराघ्य

- | | |
|--|----------------------|
| १- रमान सिंह | पुत्रगण रंगदेव सिंह |
| २- हृदयलाल सिंह | बघेल । |
| ३- मुस० गंगीदेवी पत्नी लाल मनेन्द्र सिंह | बघेल, |
| ४- राजेन्द्र सिंह | पुत्रगण लाल मनेन्द्र |
| ५- रमीश सिंह | सिंह बघेल |
| ६- रमेश कुमार सिंह | पुत्रगण स्व० शिव |
| ७- श्याम सत्ती | गोपाल । |
| समस्त निवासीगण ग्राम मवई, तेहसील | |
| चुरहट, जिला सीधी (मध्यप्रदेश) । | |
| ८- मध्यप्रदेशशास्त्र । ----- प्रतिप्राथीगण | |

२५३३३४४
३०१९६

निगरानी बिराघ्य आदेश क्लैक्टर महोदय सीधी दिनांकी २३-६-१७,
अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राज्यव संस्कृता, १६५६ । पृ० ५० ५४ । ११-१२-
अप्रैल ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्राथी-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-


- १- यह कि, क्लैक्टर महोदय की आशा का नून सही नहीं है ।
- २- यह कि, क्लैक्टर महोदय ने प्रकारण के स्वरूप स्वं का नूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।
- ३- यह कि, क्लैक्टर महोदय के समक्ष पस्तत तरीका सारा समझा जाए

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/2080

यज्ञशरण विरुद्ध रनभान व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे।</p>	 (बी.एम.शर्मा) सदस्य